15.10.[illegible]

वकील वादी / उभयपक्ष [illegible]। वकील वादी ने प्रा0 पत्र पेश कर वाद को वि[illegible] / नोट प्रेस में खारिज किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उभयपक्ष नए सिरे से वाद लाने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे।